हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड,धर्मशाला।

क्रमांकःहि०शि०बो०(31)जमा दो/SOS/लैटर सैट/2023/009–402 दिनांकः-12/01/2023

'अधिसूचना'

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय (HPSOS) के अंतर्गत सितम्बर, 2022 में संचालित करवाई गई जमा दो कक्षा की अनुपूरक परीक्षा का परीक्षा परिणाम आज दिनांक **12-01-2023** को घोषित कर दिया गया है। परीक्षार्थियों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

Total Candidates	Pass	Fail	Re-appear	RLE	RLF	RLD	PRS	PRC	DIS	CAN	Pass %
10280	5655	93	3005	1096	312	78	20	11	4	6	55

इच्छुक परीक्षार्थी पुनर्मूल्यांकन/पुनर्निरीक्षण हेतु अपने अध्ययन केन्द्र के माध्यम से केवल ऑनलाईन प्रक्रिया के द्वारा दिनांक 27 जनवरी 2023 तक रू० 500/- प्रति विषय पुनर्मूल्यांकन शुल्क व रू० 400/- प्रति विषय पुनर्निरीक्षण शुल्क की दर से आवेदन कर सकते है। पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने के लिए सम्बन्धित विषय में कम से कम 20% अंक होना अनिवार्य है।

इसके साथ ही जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम री-अपीयर /अनुतीर्ण घोषित हुआ है या जो परीक्षार्थी श्रेणी सुधार (Improvement - Within 1 Year) की परीक्षा देना चाहते है ऐसे परीक्षार्थी मार्च, 2023 में होने वाली SOS के अंतर्गत परीक्षाओं के लिए बिना विलम्ब शुल्क दिनांक 31 जनवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं।

परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए बोर्ड कार्यालय में कार्य दिवस के दौरान दूरभाष संख्या 01892-242152 पर सुबह 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक परीक्षा परिणाम से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं। परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाईट www.hpbose.org पर भी उपलब्ध है।

सचिव

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि दिनांक :- 12.01.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष/सचिव, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ।
2. अतिरिक्त सचिव/समस्त संयुक्त सचिव हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
3. समस्त उप-सचिव/सहायक सचिव हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
4. अनुभाग अधिकारी IT Cell को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करवाएं व वर्णित तिथियों के अनुसार ऑनलाइन साइट को सक्रिय करें।
5. कनिष्ठ सहायक, लोक सम्पर्क अधिकारी कार्यालय (Public Relation Officer), हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को इस आश्य के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को विभिन्न समाचार पत्र व अखबारों में प्रकाशित करें।

सचिव